(45)

Rs. 30/-

II/पुर्नस्था०/सतना/2018/0271

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर म0प्र0 कैम्प कोर्ट

विलोपित/विलोपित

राम मनोहर पिता शिवदत्त काछी उम्र 51 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम पलौहा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ....निगराकार

बनाम

श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी प्यारेलाल काछी उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पलौहा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ....गैरनिगराकार

अधि० श्री मनीष पाण्डेय द्वारा पेश 21.2.18

कलेक्टर आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2017
प्रकरण क्र0 50 ए/2/2016–2017

आवेदन पत्र बावत प्रकरण को पुर्नस्थापित कर सुनवाई मे लिए जाने बावत् अन्तर्गत धारा 35 (3) म0प्र0 भू–रा0 संहिता

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यह कि उक्त उन्मान की निगरानी क्रमांक III/निगरानी/सतना/2017/3404 दिनांक 23.01.2018 को दायरा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत था तथा उसी दिनांक 23.01.2018 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।

2. यह कि आवेदक/ निगराकार के अधिवक्ता दिनांक 23.01.2018 को प्रकरण की पैरवी हेतु दिनांक 23.01.2018 को मैहर से रीवा अपने दो पहिया वाहन से आ रहे थे, किन्तु अमरपाटन के आगे निगराकार के अधिवक्ता अपने दो पहिया वाहन से फिसल कर गिर गये जिस कारण नियत पेशी दिनांक को माननीय न्यायालय मे नहीं पहुंच पाये और प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज हो गया।

3. यह कि आवेदक/निगराकार ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं किया है आवेदक/ निगराकार के अधिवक्ता की गलती के कारण आवेदक/ निगराकार की निगरानी अदम पैरवी मे खारिज हुई है इसलिए आवेदक/ निगराकार की निगरानी को सुनवाई मे लिये जाकर पुर्नस्थापित किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है अन्यथा आवेदक न्याय से वंचित हो जायेगा।

अस्तु माननीय न्यायालय से विनय है कि आवेदक/ निगराकार की निगरानी को पुर्नस्थापित किये जाने की दया करें।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

II / पुर्नस्थापन / रीवा / भू0रा0 / 2018 / 1271

राम मनोहर विरूद्ध लक्ष्मीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–2018	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक ने पुर्नस्थापन आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया है एवं अपने तर्कों के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे प्रकरण को पुर्नस्थापित किया जा सके। फलस्वरूप यह पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरणदाखिल रिकार्ड हो। 21/6/18 (आर0 के मिश्रा) सदस्य	